संख्या-23/2015/2430/86-15-278/2011

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक अगस्त 12, 2015

विषय- नदी तल में उपलब्ध उप खनिज यथा बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर अथवा जो मिली-जुली अवस्था में अनन्य रूप से नदी तल में पाये जाते है, के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 (यथासंशोधित) की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जारी शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 1963के नियम-24 के प्राविधानो के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-3210/86-2014-278/2011, दिनांक 22-10-2014 जारी करते हुये नदी तल में अनन्य रूप से पाये जाने वाले बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर व इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, के खनन हेतु रिक्त क्षेत्रों को पूर्व में जारी शासनादेश संख्या-1277/86-2012-278/2011, दिनांक 31-05-2012, एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या-382(1)/86-2013-278/2011, दिनांक 26-02-2013, शासनादेश संख्या-1710/86-2014-278/2011, दिनांक 09-06-2014 एवं शासनादेश संख्या-1710(1)/86-2014-278/2011, दिनांक 08-07-2014 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुये अध्यया दो के प्राविधानों के अन्तर्गत व्यवस्थापन हेतु निर्णय लिया गया था। इस प्रकार दिनांक 31-5-2012 से 22-10-2014 की अवधि में उपरोक्त उपखनिजों के सम्बन्ध में रिक्त खनन पट्टा क्षेत्रो पर अध्याय 4 के प्राविधान लागू रहे लेकिन इस अवधि में पूरे प्रदेश से कोई भी खनन क्षेत्र इन प्राविधान के अन्तर्गत व्यवस्थापित नहीं किया जा सका।

उपरोक्त सन्दर्भ में उत्पन्न हो रही व्यावहारिक एवं विधिक विषमताओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-1277/86-2012-278/2011, दिनांक 31-05-2012 एवं अनुवर्ती शासनादेश संख्या-382(1)/86-2013-278/2011, दिनांक 26-02-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2013, शासनादेश संख्या-1710/86-2014-278/2011, दिनांक 09-06-2014 एवं शासनादेश संख्या-1710(1)/86-2014-278/2011, दिनांक 08-07-2014 को इन शासनादेशों के निर्गमन की तिथि से ही निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप नदी तल में उपलब्ध बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर व इनमें से कोई भी जो मिली जुली अवस्था में हो, के रिक्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में अध्याय-4 के प्राविधान दिनांक 31-05-2012 से 22-10-2014 तक लागू नहीं माने जायेंगे।

कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 2430/(1)/86/2015, तददिनांक ।

प्रतिलिपि-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डा0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।